प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 30 मार्च, 2015**

विषय:- अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में संचालित योजना '4401-119-04-0401 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना के मानक मद 26-'मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र' में प्राविधानित धनराशि रू0-85.00 हजार को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-390/91/बजट-आयोजनेत्तर/2014-15, दिनांक 24 मार्च, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा किये गये प्रस्तावानुसार डिजिटल वेईंग बैलेन्स के क्रय हेतु धनराशि रू0-85.00 हजार (रूपया पच्चासी हजार मात्र) अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुनसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन अवमुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत है। जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-10 (आयोजनेत्तर) के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-119-बागवानी तथा बनस्पति की फसलें-04-0401-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना की मद संख्या-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामें डाली जायेगी।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-547/दस-2012-231/2012, दिनांक 20 मार्च, 2012 में दी गयी शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(7) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-245/दस-2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रताप सिंह
अनुसचिव।

<u>संख्या-16/2015/358(1)/58-2-2015, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in